

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी: ~~विजय चोपड़ा, आई.एस.एस.~~

मुकदमा संख्या:- 332/2017

1- कपलाल पिता मोहन लाल देवपुरा नि. सांगानेर
2-

--- प्रार्थीगण

1- डी.सु. S/o. एस.न. मु. हलमान नीलवार नि. सांगानेर
2- इ.भा.मु.दीन S/o. एस.न.
3- मि.सी. S/o. क.प.या. धोती नि. सांगानेर

--- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 भू0राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::


दिनांक:- 21-5-18

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सांगानेर पटवार हल्का सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 1866, 1883 कुल किता 02 रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा स्थित हैं। वाद प्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 14.8.17 को पंजीबद्ध किया जाकर करण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की ने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में उसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी कोकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया कर ग्राम सांगानेर पटवार हल्का सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1866, 1883 कुल किता 02 रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु प्ररगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक नेर को 300 रुपये (अक्षर:- तीन सौ) मेश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौकें पर जमा करावें। मेश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौकें पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये ते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो प्ररगढ़ी नहीं की जावें।


उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

तेलिपि:- तहसीलदार, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
भीलवाड़ा (राज.)